यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, जनपद – पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, जनपद – पौड़ी गढ़वाल के माह फरवरी 2019 से जनवरी 2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सत्यबीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री दीपक मालवीय एवं श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 11.02.2021 से 22.02.2021 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सत्यबीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री दीपक मालवीय एवं श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19/02/2020 से 29/02/2020 तक श्री बी.सी. मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित गयी थी जिसमें माह फरवरी 2019 से जनवरी 2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह फरवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र, लैन्सडॉन विधानसभा क्षेत्र एवं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**	**आधिक्य**	**बचत**
2018-19	शून्य	शून्य	-	-	3666.23	3666.21	-	-	-	-
2019-20					3868.03	3814.61	-	-	-	53.42
2020-21 **(01/2021 तक)**	शून्य	शून्य	-	-	2506.99	1744.60	In progress			

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	
				आधिक्य	**बचत**
2018-19	- शून्य -				
2019-20					
2020-21 (जनवरी 21 तक)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

↓

अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

↓

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, दुगड्डा जनपद-पौड़ी गढ़वाल के माह 02/2020 से 01/2021 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, दुगड्डा, जनपद- पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **नवंबर 2020** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **"मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत नाथूखाल-हर्षू-मुंडगांव तक मोटर मार्ग का नव-निर्माण कार्य"** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में 07/12/20 से 10/12/2020 तक खण्ड का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी 09/2019 तक तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी 09/2020 तक की गई।

5. फार्म 51: माह मार्च 2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम (-) ` 7,14, 450.32

भाग द्वितीय ` 10,46,205.74

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह जनवरी 2021 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रिम	`2,69,57,671.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 3,85,64,150.00

(ङ) भण्डार (-) `1,66,80,424.00

भाग II (ब)

प्रस्तर सं – 01: ठेकेदारों के देयकों से प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सापेक्ष रॉयल्टी/डीएमएफ़/स्टैम्प शुल्क/क्षतिपूर्ति की धनराशि `1.51 लाख की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 26 फरवरी 2016 के अनुसार वर्तमान में "नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले खंडास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेमी से अधिक न हो), बजरी, गिट्टी, बैलास्ट सिंगल, पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू" हेतु रॉयल्टी की दर ` 194.50 प्रति घनमीटर है। लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 1998/VII-I/2018/80-ख/16 दिनांक 14.02.2018 द्वारा निर्माण कार्यों हेतु में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से निकासी की जाने वाली उप-खनिजों की दरों को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार संशोधित दरें निर्धारित की गयी हैं: -

1. रॉयल्टी
2. स्टाम्प शुल्क - रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
3. जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान - रॉयल्टी का 25 प्रतिशत
4. क्षतिपूर्ति - रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा के चयनित माह की रोकड़ बही एवं बिल/वाऊचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नांकित ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी/स्टैम्प शुल्क/क्षतिपूर्ति शुल्क/जिला न्यास फाउंडेशन अंशदान की कटौतियाँ नहीं की गयी थी /कम की गयी थी (**संलग्नक क)**।

क्रमांक	**वाउचर सं**	**ठेकेदार/फर्म का नाम**	**अनुबन्ध संख्या**	**रॉयल्टी/डीएमएफ़/स्टैम्प शुल्क/क्षतिपूर्ति की काटी जाने योग्य धनराशि**	**उक्त के सापेक्ष देयकों से काटी गयी धनराशि**	**कम काटी गयी धनराशि (रु में)**
1.	17/नवंबर 20	श्री धीरज सिंह रावत	202/ईई	17157	11958	5199
2.	34/नवंबर 20	श्री राजेन्द्र सिंह	183/एई	15086	10514	4572
3.	46/नवंबर 20	श्री सुरेश चन्द्र नैनवाल	12/एसई-12/2019-20	137718	0	137718
4.	123/नवंबर 20	श्री संजय जदली	39/ईई 06.07.2019	2300	1604	696
5.	124/नवंबर 20	श्री प्यारे लाल	160/एई/ 16.10.18	9413	6556	2857

योग =	**181674**	**30632**	**151042**

इस प्रकार खंड द्वारा उपरोक्त ठेकेदारों के देयकों से **रॉयल्टी/डीएमएफ़/स्टैम्प शुल्क/क्षतिपूर्ति** के सापेक्ष धनराशि `151042/- की कटौती नहीं की गयी थी जिससे राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार समस्त कटौतियाँ/वसूली किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अतः खंड द्वारा ठेकेदारों के देयकों से प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सापेक्ष रॉयल्टी/डीएमएफ़/स्टैम्प शुल्क/क्षतिपूर्ति की धनराशि `151042/- की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

<u>प्रस्तर -2 अपूर्ण कार्य को पूर्ण दर्शाया जाना।</u>

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकासखंड दुगड्डा मे नाथुखाल-हर्षु-मुंड गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अप्रैल 2018 मे लंबाई 4.00 किमी हेतु लागत रु 189.31 लाख की (स्कपर एवं कैच पिट हेतु रु 55.63 लाख एवं मार्ग निर्माण हेतु रु 107.74 लाख) की प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियंता स्तर से नवम्बर 2018 मे उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी थी। उक्त प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यो का प्रावधान स्वीकृत आगणन मे किया गया था-

i. 4 किमी लंबाई मे पहाड़ कटान का कार्य।
ii. 4 किमी लंबाई मे स्कपर**,** कैच पिट का निर्माण।
iii. किमी 3 की चेनेज 2/5-2/6 मे 6 मीटर स्पान कल्वर्ट का निर्माण।
iv. 4 किमी लंबाई मे दीवारों**,** पैरा पिट**,** नाली इत्यादि का निर्माण।
v. 4 किमी लंबाई मे दबान मलवा निस्तारण हेतु कार्य।

उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु **26** अनुबंध कुल रु 177.00 लाख के गठित किए गए थे जिनके अंतर्गत कार्य पर कुल रु175.03 लाख का भुगतान कार्य पर दर्शाते हुए कार्य पूर्ण दर्शाया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा मे उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य पर 06 अनुबन्धो के सापेक्ष किए गए, रु 30.41 लाख के भुगतान के संबंध मे खंड कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था एवं तीन अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य संप्रेक्षा अवधि तक समाप्त नहीं किया जा सका था जो इंगित करता था कि संप्रेक्षा अवधि तक कार्य के अपूर्ण होने के बावजूद भी कार्य को पूर्ण दर्शाया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किया जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि अनुबंध संख्या 128/ईई मे कार्य समय के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा, किमी 1,2 एवं 4 मे भाग 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा किमी 3 मे कार्य के सापेक्ष दायित्यों का भुगतान शेष है। खंड का उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योकि अभिलेखो के अनुसार अनुबंध संख्या 49/ईई, 128/एई एवं 131/एई तीनों अनुबन्धो मे ही कार्य पूर्ण नहीं थे एवं अनुबंध संख्या 360/एई, 361/एई, 50/एई, 11/एई एवं 120/एई के भुगतान के संबंध मे खंड कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था जबकि मासिक प्रगति आख्या मे खंड के उत्तर के विपरीत कार्य पूर्ण दर्शाया गया था।

अतः अपूर्ण कार्य को पूर्ण दर्शाये जाने के प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

क्र सं	**अनुबंध संख्या**	**किमी**	**चेनेज**	**DOS/DOC**	**कुल भुगतान**	
1	**362/AE**	**1**	**0.500 to 1.000 (Hill Cutting)**	**8.3.19/7.9.19**	**544605**	अंतिम
2	104/AE	1	0.500 to 1.000(Part 2 work)	22.10.19/21.01.20 F	490723	**अंतिम**
3	117/AE	1	1.000 to 1.500 (Wall construction)	22.10.19/21.01.20 F	489140	**अंतिम**
4	48/EE	1	0.500 to 1.000(Part 2 work)	6.7.19/5.3.20 F	1285093	**अंतिम**
5	360/AE	1	0.00 से 0.500	Detail From Division	252000	**Voucher not submitted**
6	361/AE	1	0.500 से 1.000	Detail From Division	547288	**Voucher not submitted**
7	50/EE	1	0.00 से 0.500	Detail From Division	1090232	**Voucher not submitted**
8	102/AE	1	0.00 से 0.500	Detail From Division	474682	**Voucher not submitted**
9	**11/AE**	**2**	**1.000 to 1.500 (Hill Cutting)**	**10.06.19 /09.12.19 F**	**239741**	**अंतिम**
10	49/EE	2	1.000 TO 1.500 (PART 2 WORK)	6.7.19 to 5.3.20 R	1567202	RUNING
11	**10/AE**	**2**	**1.500 to 2.000 (Hill Cutting)**	**10.06.19 /09.12.19 F**	**230246**	**अंतिम**
12	47/AE	2	1.500 to 2.000 (Part 2 work)	06.07.19/ 05.03.20 R	995033	अंतिम
13	199/AE	2	1.500 to 2.000 (Balance work of Part 2 work)	24.01.20 /23.07.20 F	448676	**अंतिम**
14	87/AE	2	Wall construction in 0.2	23.09.20/22.12.20 F	493332	**अंतिम**
15	11/एई	2	1.000 से 1.500	Detail From Division	246400	**Voucher not submitted**
16	120/AE	3	Wall construction	Detail From Division	431286	**Voucher not submitted**
17	**356/AE**	**3**	**2.000 to 2.500 (Hill Cutting)**	**8.3.19/7.9.19 F**	**321568**	**अंतिम**
18	153/AE	3	2.000 to 2.500 (part 2 work)	4.12.19/3.6.20 F	994671	**अंतिम**
19	**357/AE**	**3**	**2.500 to 3.000 (hill Cutting)**	**8.3.19/7.9.19 F**	**293847**	**अंतिम**
20	**173/AE**	**3**	**2.500 to 3.000 (Hill Cutting)**	**24.12.19/ 23.6.20 R**	**1605900**	FINAL
21	128/EE	3	Balance work of part 2	Detail From Division	1973934	रनिंग
22	86/AE	4	3.000 to 3.500 (part 2 work)	31.08.19/30.5.20 F	959083	**अंतिम**
23	**359/AE**	**4**	**3.500 to 4.000 (Hill Cutting)**	**8.3.19/7.9.19 F**	**166404**	**अंतिम**
24	131/AE	4	3.500 to 4.000 (part 2 work)	30.10.19/29.07.20 R	793442	रनिंग
25	354/AE	4	3.00 TO 3.500 (Hill Cutting)	Detail From Division	289856	अंतिम
26	207/AE	4	3.00 से 3.500	Detail From Division	479578	अंतिम
					1,77,03,965	

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर –3: रु 27.43 लाख अतिरिक्त भारित किया जाना।

ब्लॉक रिखनी खाल मे बरई रथुआ ढाब मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिसम्बर 2017 मे 5.00 किमी लंबाई मे सुधारीकरण एवं डामरीकरण हेतु रु 246.05 लाख की प्राप्त हुई थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति अप्रैल 2018 मे उक्त इंगित लंबाई एवं लागत हेतु ही प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यो का प्रावधान विस्तृत आगणन मे किया गया था-

i. सोलिंग 0.10 सेमी**,** इंटर 0.075 सेमी**,** एवं टॉप कोट 0.075 सेमी का कार्य।

ii. पी सी एवं सील कोट का कार्य।

iii. कच्ची एवं पक्की नाली का निर्माण।

iv. रिटेनिंग वाल का निर्माण।

v. पैरापिट एवं कुली वलिंग का निर्माण।

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध संख्या 10/एस ई/18-19 दिनांक 12.11.18 को लागत 234.08 लाख लागत का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य दिनांक 11.11.19 को समाप्त होना था। संप्रेक्षा अवधि (फरवरी 2021) तक उपरोक्त इंगित कार्य पर रु158.44 लाख का व्यय दर्शाया गया था।

अधिशासी अभियंता**,** निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग**,** दुगड्डा मे उक्त कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य निष्पादन हेतु गठित अनुबन्धो के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य नवम्बर 2019 मे समाप्त किया जाना था परंतु उक्त निर्माण कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि के एक वर्ष 2 माह के उपरांत पूर्ण नहीं किया जा सका था एवं उपलब्ध कराये गए देयकों के अनुसार ठेकेदार को रु 131.01 लाख का भुगतान किया गया था जिसमे रु 37.45 लाख अग्रिम था। जबकि कार्य पर रु 158.44 लाख का व्यय भारित किया गया था व अग्रिम की वसूली भी लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदार को 149.85 लाख का भुगतान हो चुका है शेष धनराशि आकस्मिक निधि के अंतर्गत है तथा नमी के कारण पेंटिंग का कार्य नहीं होने, कोरोना महामारी एवं लाक डाउन के कारण कार्य नहीं किया जा सका तथा ठेकेदार के अग्रिम का समायोजन साख सीमा न होने के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं हो सकी है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि कार्य निर्धारित समाप्ति अवधि के एक वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका था एवं पांचवे चालू देयक मे रु 131.01 लाख के भुगतान के उपरांत संप्रेक्षा अवधि तक कोई अद्यतन देयक तैयार नहीं किए जाने के उपरांत भी कार्य पर धनराशि रु 158.44 भारित की गयी थी।

अतः रु 27.43 लाख अतिरिक्त भारित करते हुए ठेकेदार को प्रदान अग्रिम की वसूली लंबित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 4: निक्षेप मद में प्राप्त धनराशि से `59.09 लाख के अधिक व्यय धनराशि का संबन्धित ग्राहक विभागों से वसूली लंबित रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड (VI) के प्रस्तर 5 80के प्रावधान के अनुसार किसी भी निक्षेप कार्य का परिव्यय प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा तक सीमित रखा जाना होता है और यदि कुछ व्ययाधिक हो भी जाता है तो उसे लेखों में विविध प्रकीर्ण अग्रिम (Misc. P.W. Advances) के रूप में लम्बित वसूली के रूप में दर्शाते हुये वसूली हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा के माह जनवरी 2021 की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं डिपॉजिट संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित निक्षेप कार्य पूर्ण दर्शाये गए थे परंतु दायित्व अवशेष दर्शाये गए थे: -

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (`लाख)	प्राप्त धनराशि (`लाख)	अवशेष धनराशि (`लाख)
1.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RAMSA) के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथाणा में 01कम्प्यूटर कक्ष, 01 कला एवं क्राफ्ट कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 विज्ञान प्रयोगशाला, एवं 02 कक्षा कक्ष	59.25	38.80	20.45
2.	RAMSA के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला में 01कम्प्यूटर कक्ष, 01 कला एवं क्राफ्ट कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 विज्ञान प्रयोगशाला, एवं 02 कक्षा कक्ष	57.50	53.25	4.25
3.	RAMSA के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला में 01कम्प्यूटर कक्ष, 01 कला एवं क्राफ्ट कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 विज्ञान प्रयोगशाला, एवं 01 कक्षा कक्ष	53.09	35.52	17.57
		169.84	**127.57**	**42.27**

उपरोक्त निर्माण कार्यों से संबन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि खंड द्वारा कार्य पूर्ण कर संबन्धित विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके थे परंतु दायित्वों का भुगतान बकाया था जिसके लिए ग्राहक विभाग से अवशेष धनराशि अप्राप्त थी।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त Part-III (Deposit of Works to be done) में निम्नलिखित कार्यों हेतु ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित हो रहा था जिससे यह स्पष्ट था कि निम्न कार्यों हेतु प्राप्त निक्षेप से अधिक का व्यय किया गया था: -

क्र. सं.	निर्माण कार्य	अवशेष धनराशि
1.	प्रभागीय वनाधिकारी लैंसडॉन, वन प्रभाग कोटद्वार	**443925**
2.	विधायक निधि के अंतर्गत मुक्तिधाम कोटद्वार में मार्ग, पार्क आदि विभिन्न कार्यों का सम्पादन	**246439**
3.	स्नेह कोटद्वार में खो नदी से सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	**991772**
	योग =	**1682136**

इस प्रकार खण्ड द्वारा निक्षेप मद के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यों के सापेक्ष `59.09 लाख (42.27 लाख + 16.82 लाख) का अधिक व्यय किया गया था जिसकी संबन्धित ग्राहक विभाग से वसूली लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RAMSA) के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथाणा हेतु `74.63 लाख एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला हेतु `50.75 लाख प्राप्त हुये। माह 09/15 में RAMSA कार्य हेतु प्राप्त धनराशि 82.02 लाख को फॉर्म 79 में त्रुटिवश जिला योजना के अन्तर्गत क्रेडिट कर प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2015-16 से डिपॉजिट पंजिका का अद्यतन कर लिया जाएगा तथा अवशेष धनराशि प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अन्य तीन कार्यों हेतु अवशेष धनराशि प्राप्त किए जाने हेतु संबन्धित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। शीघ्र ही धनराशि प्राप्त कर ली जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार किसी भी निक्षेप कार्य का परिव्यय प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा तक सीमित रखा जाना होता है। इसके अतिरिक्त, RAMSA के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथाणा हेतु कुल स्वीकृति ही `59.25 लाख की थी ऐसे में इसके सापेक्ष `74.63 लाख प्राप्त बताया जाना विरोधाभासी है, खण्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से भी उक्त कार्यों पर व्यय के सापेक्ष पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने की पुष्टि होती है। साथ ही अन्य उल्लिखित निक्षेप कार्यों पर व्यय धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की प्राप्ति हेतु खण्ड स्तर से कृत कार्यवाही के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

अतः निक्षेप मद में प्राप्त धनराशि से `59.09 लाख के अधिक व्यय किए जाने तथा उक्त धनराशि का संबन्धित ग्राहक विभागों से वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
2	22/2009-10	2	-
3	31/2010-11	1,2,3	1
4	**3**7/2011-12	1,2	**1,2**
5	10/2014-15	1,2,3	1
6	66/2015-16		1
7	91/2017-18	1	1,2
8	144/2018-19	**-**	**2**
9	120/2019-20	-	2,**4**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खंड द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, जनपद – पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः -

2. सतत् अनियमितताएः

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री निर्भय सिंह	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री पुष्कर राणा	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, जनपद – पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)